न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 37 / 2021–22

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1 14/12/21		

आवेदक सन्नी डांगवार पिता स्व0 रोशन डांगवार, ग्राम– कलिगा, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना संख्या संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन
कलिगा	141	72	1744	1.44 एकड़ में से 0.12 एकड़	आवासीय

चौहदी :– उत्तर – विक्रेता नीज । दक्षिण – सड़क पक्की पूरब – मार्टिन बेक का छाउरू। पश्चिम – विक्रेता नीज का जमीन।

जमीन विक्रेता की विवरणी

आवेदक – सन्नी डांगवार पिता– स्व0 रोशन डांगवार, ग्राम– कलिगा, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड)

जमीन क्रेता की विवरणी

क्रेता – असरीता इन्दवार, पिता– स्व0 स्तानिसलास इंदवार, ग्राम– कोनबीर नवाटोली, थाना – बसिया जिला– गुमला

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित असरीता इन्दवार, पिता– स्व0 स्तानिसलास इंदवार, ग्राम– कोनबीर नवाटोली, थाना –बसिया जिला– गुमला को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता पड़ने पर राशि 2,30,000(दो लाख तीस हजार) रू0 में आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांकः– 485(ii) दिनांकः– 03/12/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ती दर्ज नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा एवं खड़िया के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक **सन्नी डांगवार पिता स्व0 रोशन डांगवार , ग्राम– कलिगा थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड)** को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.16 14:55:19 +05:30
Location: 192.168.1.10